

**राजस्थान विधान सभा**

**प्रथम सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री यूनुस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे।

**3. याचिका का उपस्थापन**

श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा, पाली जिले की नगरपालिकाओं के पेरीफेरल एरिया को व्यवस्थित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

**4. विधायी कार्य**

**विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

**(I) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014**

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वन (संशोधन)  
विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्या-7)

"राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(II) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर  
(नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-8)
- "बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"  
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे )
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(III) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर  
(नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-9)
- "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"  
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(IV) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर  
(नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-10)
- "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन करने और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"  
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(V) माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाडा (सिरोही) विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाडा  
(सिरोही) विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-3)
- "राजस्थान राज्य में माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाडा (सिरोही) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(VI) पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय,  
उदयपुर विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-6)
- "राजस्थान राज्य में पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रदीप कुमार शास्त्री  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 20 फरवरी, 2014